(02/50)

बिहार सरकार

बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा –805110
(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष 06324–212253 (कार्या0)
06324–212240 (आवास)
06324–212904 (फैक्स)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–4/बजट(विविध) 610/2010–3687, दिनांक–26.04.2010 में निहित निदेशानुसार वरीय उप समाहर्त्ताओं के लिये वाहन की आवश्यकता है, जिसके लिए निम्नांकित शर्त्तों के अधीन वाहन मालिक निविदा भर सकते हैं :–

01. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा।
02. भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं चालक पर व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा।
03. वाहन का चयन न्यूनतम भाड़ा एवं अधिकतम किलोमीटर प्रति लीटर के आधार पर किया जायेगा।
04. जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति, जिसके सदस्य M.V.I. होंगे, के फिटनेस की जाँच के पश्चात् ही गाड़ी रखी जायेगी।
05. वाहन का व्यवसायिक निबंधन बिहार राज्य के किसी भी जिले से निबंधित होना अनिवार्य होगा।
06. वाहन का निबंधन वर्ष–2014 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
07. वाहन का प्रकार बोलेरो, सुमो, स्कार्पियो अथवा इनोवा समकक्ष अन्य वाहन होगा।
08. निविदा के साथ 10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, नवादा के पदनाम जमा करना अनिवार्य होगा।
09. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में देना होगा (तथा लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अवश्य अंकित किया जायेगा)।
10. निविदा के साथ वाहन का व्यवसायिक निबंधन तथा वाहन के अद्यतन बीमा की छायाप्रति, पैन (PAN) कार्ड की छायाप्रति पेपर जमा करना होगा।
11. निविदा दिनांक 16/07/2016 को अपराह्न 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के जिला नजारत शाखा, नवादा में हाथो–हाथ जमा ली जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष में निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा अस्वीकृत होने पर जमानत की राशि तुरंत लौटा दी जायेगी।
14. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटा जिला प्रशासन को उपलब्ध करना होगा।
16. वाहन का टैक्स/बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण अद्यतन होना चाहिए। संबंधित कर एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
17. उपर्युक्त शर्त्तों के अनुरूप मासिक न्यूनतम दर के निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा एवं उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।

24/6/16 — 24/06/16

जिला नजारत उप समाहर्त्ता,
नवादा।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जिला नजारत शाखा, नवादा।

24/6/16

जिला पदाधिकारी,
नवादा।